

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
फोन नम्बर -0141-2200119, ईमेल आईडी-JAIPUR.WE@RAJASTHAN.GOV.IN

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) पूर्व में लागू किया जा चुका है (अधिनियम वेबसाइट www.wcd.nic.in तथा www.wcd.rajasthan.in पर उपलब्ध है)। अधिनियम के अध्याय - II की धारा 4(1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता (विभाग, उद्यम, संस्थानों, कार्यालय, आदि तथा वह सभी स्थान जो कार्यस्थल के रूप में हैं) को अपने कार्यस्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। ऐसे कार्यालय/प्रशासनिक इकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखण्ड स्तर पर स्थित हैं, आंतरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक कार्यालय (जहाँ पर 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हों) अथवा प्रशासनिक इकाई पर किया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्यस्थल पर आंतरिक समिति गठन का आदेश (जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है) प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

इस संबंध में <https://shebox.wcd.gov.in> पर सभी निजी संस्थानों (जहाँ पर 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हों) एवं सभी राजकीय/केन्द्रीय कार्यालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/बैंक आदि को पंजीयन करना अनिवार्य है। साथ ही कार्यालय में गठित आंतरिक शिकायत समिति की सूचना पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना है। उक्त कार्य विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिवस की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अनुपालना नहीं होने की स्थिति में अधिनियम 2013 के अनुसार दंडीत तथा शास्ती प्रतियोगित की जावेगी।

नियोक्ता द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्यशालाएँ एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वार्षिक रिपोर्ट जिला कलक्टर, जयपुर/उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर कक्ष-206, कलेक्ट्रेट, केम्पस में भिजवाना अनिवार्य है।

वन स्टॉप सेन्टर

यह केन्द्र आर.डी.बी.पी. जयपुरिया अस्पताल, टोंक रोड, जयपुर एवं आमेर मुख्यालय पर 24 घंटे संचालित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं हेतु निःशुल्क परामर्श सेवाएँ, चिकित्सा सुविधा, न्यायिक सहायता, पुलिस सहायता तथा अस्थायी आश्रय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। दूरभाष नम्बर-वन स्टॉप सेन्टर, जयपुरिया 0141-2553764, वन स्टॉप सेन्टर, आमेर 8209935322 ।

महिला हेल्पलाइन-181 :

महिलाओं/बालिकाओं की सहायता (सलाह, सुझाव, सूचना, मार्गदर्शन) हेतु राज्य में महिला हेल्पलाइन-181 सेवा भी 24 घंटे संचालित है। दूरभाष नम्बर-181

पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र / तेरे-मेरे सपने (विवाह पूर्व संवाद केन्द्र)

कलेक्ट्रेट परिसर, जयपुर में शहरी क्षेत्र व ग्रामीण की महिलाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को सुनने, समस्या का समाधान करने एवं परामर्श सुविधा के लिए तथा Individual Couples को मानसिक स्वास्थ्य, जेण्डर समानता, विवाह में Communication and Conflict Resolutions पर विवाह पूर्व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र/तेरे-मेरे सपने (विवाह पूर्व संवाद केन्द्र) संचालित है।

दूरभाष नम्बर- 0141-2945546

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र :

हिंसा/उत्पीड़न की शिकार महिला को परामर्श सेवाएँ, चिकित्सकीय, पुलिस एवं विधिक जैसी सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में प्रत्येक पुलिस सर्किल में महिला एवं सुरक्षा केन्द्र पुलिस थानों में संचालित है।

आज्ञा से

(डॉ राजेश डोगीवाल)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता, जयपुर

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर